

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. जोनी नारनौलिया पुत्र श्री गोवर्धन लाल निवासी ढाणी जोडली पोस्ट हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

– वादी

बनाम

2. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 705/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1347

आदेश

दिनांक- 14/11/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम बासडी खुर्द तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 81 में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम "गोदू पुत्र मूंगा" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "गोवर्धन पुत्र मूंगाराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा



(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. जोनी नारनौलिया पुत्र श्री गोवर्धन लाल निवासी ढाणी जोडली पोस्ट
हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—वादी

बनाम

2. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्दई रुबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम बासडी खुर्द तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 81 में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम "गोदू पुत्र मूंगा" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "गोवर्धन पुत्र मूंगाराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय
सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।
बसवा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह सन् 2025 को जारी की गई।



मुहर

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज कर